न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 110/2018(2018/00333)

अनवान : –

प्रेमसिंह पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री योगेश शर्मा प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 16/03/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता सं 153/148 की कुल 13.3200 हैक्टेयर, चक 2 एमआरएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.4670 हैक्टेयर, चक 13 एएमएस के खाता संख्या 32/33 की कुल 0.4810 हैक्टेयर तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 69/96 की कुल 10.6650 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम की बजाऐ प्रेम पुत्र भूरा दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में प्रेमसिंह पुत्र भूराराम की बजाऐ प्रेम पुत्र भूरा दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम प्रेम पुत्र भूरा के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:01 IST
Reason: SelfAttested

ऊपर वर्णित कृषि भूमि के [illegible] प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम के स्थान पर प्रेम पुत्र भूरा दर्ज होने से प्रार्थी को सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं का ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम प्रेम पुत्र भूरा दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खाता सं 153/148 की कुल 13.3200 हैक्टेयर, चक 2 एमआरएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.4670 हैक्टेयर, चक 13 एएमएस के खाता संख्या 32/33 की कुल 0.4810 हैक्टेयर तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 69/96 की कुल 10.6650 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अंवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता सं 153/148 की कुल 13.3200 हैक्टेयर, चक 2 एमआरएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.4670 हैक्टेयर, चक 13 एएमएस के खाता संख्या 32/33 की कुल 0.4810 हैक्टेयर तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 69/96 की कुल 10.6650 हैक्टेयर में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रेमसिंह पुत्र भूराराम के स्थान पर प्रेम पुत्र भूरा दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम प्रेमसिंह पुत्र भूराराम अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 9 एएमएस के वर्तमान खाता सं 153/148 की कुल 13.3200 हैक्टेयर, चक 2 एमआरएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 1.4670 हैक्टेयर, चक 13 एएमएस के खाता संख्या 32/33 की कुल 0.4810 हैक्टेयर तथा चक 15 एएमएस के खाता संख्या 69/96 की कुल 10.6650 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम **''प्रेम पुत्र भूरा के स्थान पर प्रेमसिंह पुत्र भूराराम''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रेम पुत्र भूरा ही प्रभावी माना जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार ... भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:01 IST
Reason: SelfAttested

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़ — मुहर)

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़